न्यायालय सत्र न्यायाधीश (रमाबाई नगर) कानपुर देहात ।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1100/2026

CNR No.UPRN01-002980-2026

1. कौशलेन्द्र सिंह उर्फ दीपू, उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र शिवराम सिंह, निवासी ग्राम उसरी, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात। ...आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं०–342/2025
धारा–80(2),85,351(3)बी०एन०एस० एवं
धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–रसूलाबाद, कानपुर देहात।

आदेश

1. मुकदमा अपराध सं०–342/2025,धारा–80(2),85,351(3)बी०एन०एस० एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–रसूलाबाद, कानपुर देहात के मामले में आवेदक/अभियुक्त कौशलेन्द्र सिंह उर्फ दीपू सिंह की तरफ से जमानत हेतु यह जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन के कथनानुसार वादी मुकदमा मयंक सिंह के द्वारा इस आशय की तहरीर संबंधित थाने पर दी गयी कि वह ग्राम व पोस्ट सुल्तानपुर पेराजोर, जनपद कानपुर देहात का निवासी है। उसकी बहन नूतन सिंह का विवाह दिनांक–25.11.2019 को कौशलेन्द्र उर्फ दीपू सिंह पुत्र स्व० शिवराम सिंह, निवासी ग्राम उसरी, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ था, जिसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान व उपहार भी हम लोगों ने भेंट किये थे। शादी के करीब दो साल बाद से उसकी बहन का पति कौशलेन्द्र सिंह उर्फ दीपू दहेज के रूप में मोटर साइकिल की मांग करने लगा और उसकी बहन नूतन को तरह–तरह से प्रताड़ित करने लगा,जिस पर हम लोगों ने जाकर कौशलेन्द्र को समझाया बुझाया, फिर कौशलेन्द्र ने ठीक प्रकार से उसकी बहन को रखने की बात कही, लेकिन समय–समय पर दहेज में मोटर साइकिल की मांग कर प्रताड़ित करता था। इसी वर्ष उसकी बहन ने बताया कि कौशलेन्द्र उर्फ दीपू ने पड़ोस की रहने वाली सरिता कठेरिया उर्फ गुंजन पुत्री स्व० राम प्रकाश से नाजायज संबंध बना लिये है। वह विरोध करती है तो कौशलेन्द्र उर्फ दीपू व सरिता उर्फ गुंजन तथा उसकी माँ लौग श्री व उसका भाई नेपाली व नेपाली की पत्नी उसे तरह–तरह से प्रताड़ित कर जान से मारने की धमकी दे रहे है। इस पर वह लोग गांव उसरी गये, जहाँ पर दोनों पक्षों को बुलवाकर व गांव के लोगों को बुलवाकर बात की गयी तो कौशलेन्द्र व सरिता उर्फ गुंजन तथा सरिता की माँ लौग श्री व भाई नेपाली व नेपाली की पत्नी ने कहा कि अब दोनों लोग अपना–अपना काम करेगे और कोई उसकी बहन नूतन को परेशान नहीं करेगा और न ही कोई नुकसान पहुँचायेगा। इस संबंध में लिखित समझौता भी हुआ था। उसकी बहन का पति कौशलेन्द्र उर्फदीपू अपने मोबाइल से सरिता उर्फ गुंजन से बात कर मिलजुल कर नाजायज संबंध बनाये थे। उसकी बहन के विरोध पर कौशलेन्द्र व सरिता उर्फ गुंजन व सरिता की माँ लौग श्री व भाई नेपाली व नेपाली की पत्नी उसकी बहन को प्रताड़ित कर जान से मारने की धमकी देते रहे। दिनांक–17.08.2025 को उसे सूचना मिली कि दिन में समय लगभग एक बजे उसका पति कौशलेन्द्र व सरिता कठेरिया उर्फ गुंजन व सरिता की माँ लौग श्री व उसका भाई नेपाली घर में आये और उसकी बहन को बाजबरन जहर खिला दिया और भाग गये। सूचना पर जब वह मौके पर अपने परिजनों के साथ पहुँचा तो पुलिस लिखा पढ़ी कर रही थी तथा फारेन्सिक टीम साक्ष्य संकलन कर रही थी और पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम को भेज दिया था। वह लोग बदहवास थे, बहन का अंतिम संस्कार होने के बाद सूचना देने आया। उक्त लोग दबंग किस्म के है और उसके भांजे व भांजी की हत्या कर सकते है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी।

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। एफ०आई०आर० के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसने मृतका से कभी कोई मांग नहीं की और न ही कोई मारपीट की है। उनकी शादी छः वर्ष पूर्व हुई थी तथा उनके मध्य कोई मनमुटाव नहीं था। सह अभियुक्तगण सरिता कठेरिया, लौंगश्री, नेपाली व नेपाली की पत्नी से उसका कोई लेना देना नहीं है और न ही वह उसके परिवार से है। उसके दो संताने है।

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.05.27 16:18:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जहर खिलाने की बात गलत है। मृतका के शरीर पर कोई चोट नहीं पायी गयी। घटना में उसका कोई स्पेशफिक रोल नहीं दर्शाया गया है। यह उसका प्रथम जमानत आवेदन है। वह दिनांक–31.01.2026 से जेल में है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त आधारों पर जमानत दिये जाने की याचना की गयी।

5. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने मौखिक रूप से जमानत प्रा0 पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर मृतका नूतन सिंह, जो कि आवेदक/अभियुक्त की पत्नी थी, से अतिरिक्त दहेज में मोटर साइकिल की मांग कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा दहेज की पूर्ति न होने पर जहर देकर नूतन सिंह की दहेज मृत्यु कारित की गयी है। मामले में यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि आवेदक/अभियुक्त का एक अन्य महिला सरिता उर्फ गुंजन से नाजायज संबंध होने के कारण मृतका के द्वारा उसका विरोध किया जाता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण उसका विसरा प्रिजर्व किया गया है। मृतका के विसरा रिपोर्ट में विष पाया गया है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि इस मामले में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर मृतका नूतन सिंह, जो कि आवेदक/अभियुक्त की पत्नी थी, से अतिरिक्त दहेज में मोटर साइकिल की मांग कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा दहेज की पूर्ति न होने पर जहर देकर नूतन सिंह की दहेज मृत्यु कारित की गयी है। मामले में यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि आवेदक/अभियुक्त का एक अन्य महिला सरिता उर्फ गुंजन से नाजायज संबंध होने के कारण मृतका के द्वारा उसका विरोध किया जाता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण उसका विसरा प्रिजर्व किया गया है। विसरा रिपोर्ट का उल्लेख विवेचक ने आरोप पत्र में किया है, जिसमें विसरा रिपोर्ट में अल्युमीनियम सल्फाईड विष पाया गया है। मामले में वादी मुकदमा मयंक सिंह , योगेन्द्र सिंह, अंकित सिंह, श्रवण सिंह तथा मृतका की बहन श्रीमती अर्चना सिंह, जिसका विवाह आवेदक/ अभियुक्त के भाई सतेन्द्र सिंह उर्फ अभिनव सेंगर के साथ हुआ है, ने विवेचक को दिये बयान में घटना का समर्थन किया है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

7– सम्पूर्ण तथ्यो, परिस्थितियों एवम् अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई ठोस आधार विद्यमान नहीं है।

8– निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–27.05.2026

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP02003